2327

30 को Dat ई

संख्या– / III(1) / 17–04(10)रि0या0 / 2017

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य स्थाई अधिवक्ता,
मा0 उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड ,
नैनीताल।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017**

विषयः–विशेष अपील संख्या–494 / 2017 उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम ब्रहमपाल सिंह एवं अन्य आबद्ध विशेष अपील के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र दिनांक 12.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत विशेष अपील एवं अन्य संयोजित विशेष अपील के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षित सुनवाई दिनांक 26.10.2017 से पूर्व 04 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया जा रहा हैः–

बिन्दु संख्या–1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिचाई विभाग के पत्र संख्या–1931, दिनांक 24.10.2017 के द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। आपके संदर्भित पत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्र दिनांक 10.12.2001 के सम्बन्ध में जो उल्लेख किया गया है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं0–4188 दिनांक 01.01.2000 के द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–6 के प्रस्तर–667, 668 व 669 में कार्य प्रभारित अधिष्ठान से संबधित नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त किया गया है, जिसके अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0–7553 दिनांक 10.12.2001 के द्वारा उक्त व्यवस्था के अनुसार कार्यप्रभारित अधिष्ठान में नियुक्ति नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये तथा शासनादेश सं0–8214 दिनांक 29.12.2001 द्वारा विनियमितीकरण किये जाने हेतु नीति निर्धारित की गई है। इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0–46 दिनांक 03 जनवरी,2003 के द्वारा शासनादेश सं0–7553 दिनांक 10.12.2001 तथा शासनादेश सं0–8214 दिनांक 29.12.2001 को निरस्त करते हुए कार्यप्रभारित कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु नीति निर्धारित की गयी है (**प्रति संलग्न**)। इससे पूर्व लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 15.10.1997 एवं 31.01.1998 के द्वारा नीति निर्धारित की गयी है।

अन्य 03 बिन्दुओं के सम्बन्ध में सिचाई विभाग के पत्र दिनांक 24.010.2017 यथोचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

भवदीय

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 1569 / III(1) / 17–04(10)रि0या0 / 2017 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि :–. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 26.10.2017 प्रश्नगत प्रकरण में किसी भिज्ञ अधिकारी को मुख्य स्थाई अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित करते हुये उक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय में यथासमय उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

महत्वपूर्ण / कोर्टकेस / समयबद्ध

संख्या : 1931 / II(I)–2017–06(47) / 2016

प्रेषक,

अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

सेवा में,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता,
उत्तराखण्ड सरकार,
मा.उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड
नैनीताल।

सिंचाई अनुभाग–1 दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

विषयः–विशेष अपील संख्या–494 / 2017 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम ब्रहमपाल सिंह व अन्य सयोजित विशेष अपील के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र दिनांक 12.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत विशेष अपील एवं अन्य सयोजित विशेष अपील के संबंध में मा0 न्यायालय में द्वारा दिनांक 12.10.2017 की सुनवाई में अपेक्षित 04 बिन्दुओं पर दिये गये निदेश के क्रम में निम्नवत् प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया जा रहा हैः–

बिन्दु–1 का प्रतिउत्तर–

(i) That in reply to query no. (i) it is submitted that para no. 665 & 666 of Financial Hand Book, Vol. VI deals with definition & general conditions of temporary establishment while para no. 667, 668 & 669 of F.H.B, Vol. VI exclusively deals with the definition, conditions of employment, consolidated rate of pay, the period of sanction and non-entitlement of pension & leave salary and allowances in respect of Work Charged Establishment.

Initially, the execution of different works were carried out departmentally and in order to perform the execution, the work charged employees were employed upon the actual execution of a specific work and when such **temporary establishment are employed on work of this nature, their pay should also be charged direct to the work.** The work charged establishment also comes under the purview of temporary establishment which is non-permanent establishment and their employment carries with it absolutely no claim to pension or to any leave salary. **Further, they are engaged for a special work and their engagement lasts only for the period during which the work lasts.**

The purpose and reason for deletion of para no. 667, 668 and 669 of F.H.B., Vol. VI are enumerated as below :-

1. Later on, the government policy regarding execution of work departmentally shifted to execution through contractors. Hence, no need existed further to engage the W/C employees against a specific work. Thus, ultimately personnel department of the then state of U.P. first of all put a ban on further employment of such type of temporary establishment vide Govt. Order No. 20/1/91 & का-2/ 91 dated 17.07.1991. **(Annexure-1)**

2. Further, the then state of U.P. issued Govt. Order No. 517/93-27-सिं0-7-88 (6) / 89 dated 04.02.1993 **(Annexure-2)** which provide priority to W/C employees regarding relaxation of age in selection against the regular posts in regular establishment.

3. Again vide Govt. Order No. 762/ 93-सिं0-7-88 (60)/ 89 dated 01.03.1993, **(Annexure-3)** the W/C employees were accorded permission for selection against group 'C' and 'D' regular posts according to seniority subject to rejection of unfit.

4. Similarly, the Govt. Order No. 691/97 -27- सिं-7-88 (26) / 85 dated 07.02.1997 **(Annexure-4)** also provides for absorption of muster roll employees in W/C establishment.

5. The newly created state of Uttarakhand has also framed policy for regularization of temporary establishment (including W/C establishment) vide govt. order dated 04.12.2002, Regularization Rules, 2011, Regularization Rules, 2013 & Regularization Rules, 2016.

Thus, form the aforesaid facts, it became crystal clear that **policy of the govt. was to absorb the muster roll employees in W/C establishment and then appoint all W/C employees into regular establishment against group'C'and'D' posts according to seniority, eligibility and availability of the post concerned.** Keeping in view the above facts, the then state of U.P. first of all put a ban on further employment of W/C employees vide G.O. dated 17.07.1991 and in continuation thereto issued G.O. dated 07.02.1997 for absorption of muster roll employees in W/C establishment. Meanwhile, Govt. Order dated 04.02.1993 was issued which provide relaxation of age to the W/C employees in selection against regular posts in regular establishment.

Further, G.O dated 01.03.1993 was issued by which permission was accorded to the W/C employees for selection against group 'C'and'D' regular posts according to seniority subject to rejection of unfit. In continuation to the above, the newly created State of Uttarakhand issued G.O dated 04.12.2002 Regularization Rules, 2011, 2013 and 2016 for appointment of temporary establishment (including W/C employees) in regular establishment as per seniority, eligibility and availability of the post concerned.

Therefore, realizing no need of work charged establishment in the changed scenario on account of remarkable shift in govt. policy, the Finance Department of the then state of U.P. on the recommendation of 5th pay Commission had decided deletion of para no. 667, 668 and 669 of F.H.B. Vol. VI vide G.O. dated 01.01.2000. (Annexure-5)

बिन्दु–2 का प्रतिउत्तर–

(ii) As explained above, realizing no need of work charged establishment in the changed circumstances on account of remarkable shift in govt. policy, the then state of U.P. decided deletion of para 667, 668 and 669 of F.H.B. Vol. VI vide G.O. dated 01.01.2000. However, para 458, 459, 460, 461, 462 and 463 of F.H.B. Vol. VI relating to payment of wages, unpaid wages and travelling expenses to W/C establishment still exist in statute **(Annexure-6).** As, other provisions relating to W/C employees still exists in the F.H.B. hence, there is no change in status of the W/C employees even on those dates.

बिन्दु–3 का प्रतिउत्तर–

(iii) There is no question of discrimination and violation of Article 14 and 16 of the Constitution of India as equals are not being treated unequally. The violation of Article 14 and 16 of the Constitution is attracted only when equals are not treated equally. Work Charged Establishment being temporary establishment having employment against a specific work for a specified duration and further such employees are neither employed against regular/ permanent posts nor substantively appointed on those posts. Regular employees are substantively appointed against regular/permanent posts. Further, wages of the W/C employees are being paid from 02-Wages head which is entirely different from 01-Salary head meant for payment of salary to the regular employees. Thus, work charged employees cannot be treated at par with those of regular employees on permanent and substantive posts.

From above, it becomes clear that Work Charged Establishment and Regular Establishment are two different establishment having different conditions of employment and different sets of governing principles and service rules and further there cannot be any merger with a view to equating the two establishments/cadres of service.

Thus, there is no question of discrimination and violation of Article 14 and 16 of the Constitution of India as in the instant case equals are not being treated unequally.

<u>बिन्दु–4 का प्रतिउत्तर–</u>

(iv) Since para 667, 668, and 669 of F.H.B. Vol. VI have been deleted on account of the facts and circumstances mentioned earlier which exclusively deals with definition, conditions of employment, period of sanction and non-entitlement of pension and leave salary etc. whereas C.S.R. regulates the entitlement and qualification of service meant for calculation of pension. Thus, F.H.B. and C.S.R. governs and deals with different aspects of service benefits of the employees and further para 458, 459, 460, 461, 462 and 463 of F.H.B. Vol. VI. relating to payment of wages, unpaid wages and travelling expenses of W/C employees has not yet been deleted so far, hence, for the working W/C W/C employees the legal sanctity of para 370 (ii) of CSR fully remain in place and can be pressed into service. Again, para 361 of CSR also stipulates that services of an employee does not qualify for pension unless it conforms to the following 3 conditions (i) The service must be under Government. (ii) The employment must be substantive and permanent. (iii) The service must be paid by Government. Hence, according to mandate contained under para 361 of CSR, the W/C employees are not entitled to pension. In this regard, U.P. Govt. Order No. 13/2017–सा–3–रिट–103/दस–2017–328(122)/2016 लखनऊ दिनांक 14.06.2017 is hereby annexed and marked as **Annexure-7.** Thus, it is unfair and unjust to conclude that merely by deletion of para 667, 668 and 669 of F.H.B. the para 370 (ii) of CSR has lost its significance and legal sanctity.

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय

देवेन्द्र पालीवाल

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव

local F/ sonal ji/ writ/ writ letter122

संख्या : — / II(I)–2017–06(47)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि–प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित की दिनांक 26.10.2017 को प्रश्नगत विशेष अपील में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में सुनवाई निर्धारित है। कृपया वरिष्ठ स्टाफ आफिसर कार्मिक–2, सिंचाई विभाग को सूचना सहित मा0 न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निदेर्शित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

local F/ sonal ji/ writ/ writ letter123

Annexure-1

(12) क्या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की नियुक्तियों पर प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है?

शासनादेश संख्या 2/5/91–टी.सी.–10–2/94 दिनांक अप्रैल 18, 19

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन

2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0

3– समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0

लोक–अनुभाग–2

विषय :– भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबंध विषयक

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में, शासन के टेलेक्स/रेडियोग्राम संख्या 20/1/91–का–2/91 दिनांक 29 जून 1991, सम संख्यक शासनादेश दिनांक जुलाई 1991 एवं 26 सितम्बर 91 की ओर, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, वर्तमान में, "नियमित नियुक्तियों" किसी प्रकार का, कोई प्रतिबंध नहीं है। शासन के संज्ञान में, यह तथ्य आया है कि कतिपय–विभागों में, यह भ्रम फैला हुआ है कि "नियमित–नियुक्ति पर, प्रतिबंध लगा हुआ है। यह स्पष्ट किया जाता है कि, सेवा नियमावलियों के अंतर्गत, "नियमित–नियुक्ति/पदोन्नति" पर, किसी प्रकार की, रोक न है।

2– वर्तमान में, तदर्थ–नियुक्ति, दैनिक–वेतन, संविदा, नियत–वेतन, मानदेय, वर्क चार्ज सेवा स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबंध है, जिसका उल्लेख शासनादेश संख्या 20/1/91–का–2/91 दिनांक 17 जुलाई 1991 में किया गया है।

3– उपरोक्त के प्रकाश में, शासन द्वारा, निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(1) समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को, यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा नियमावली के अधीन, "नियमित नियुक्ति/पदोन्नति" की कार्यवाही, या किसी भ्रमवश रूकी हो, तो उस पर नियमानुसार, कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

(2) "नियमित नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ" करते समय, आरक्षण संबंधी प्रख्यापित अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 के, समस्त सुसंगत –प्राविधानों व अनुपालन सुनिश्चित किया जावे।

(3) विनियमितीकरण – नियमावली के अंतर्गत, जहाँ "तदर्थ–नियुक्तियों का विनियमितीकरण" करना, अभिलेख हो, वहाँ भी, आरक्षण की व्यवस्थाओ का अनुपालन, सुनिश्चित किया जावे।

(4) उपरोक्त आदेशों का, तदनुसार, कड़ाई से अनुपालन करने हेतु, अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें

भवदी

sd

आर.पी. भास्क

सचिव, उ0प्र0 शास

शासनादेश संख्या 20/1/91–कार्मिक 2/1991 दिनांक 26 सितम्बर 199

विषय :– भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबंध

महोदय,

उपरोक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 17 जुलाई 1991 के अनुक्रम में, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कतिपय श्रेणी के पदों व भर्ती/नियुक्ति को, यथास्थिति स्थगित किये जाने संबंधी व्यवस्था पर, शासन द्वारा सम्यक रूप से, विचार किया गया। एवं प्रस्तर–2 एवं प्रस्तर–3 वर्णित शर्तों के तहत, आंशिक रूप से, शिथिल किया गया है।

2– विचारोपरांत श्रेणी 3 व 4 के समस्त प्राविधिक/अप्राविधिक पदों पर, विभागीय चयन समिति द्वारा नियमित सीधी भर्ती/नियुक्ति की प्रक्रि पर, लगाया गया स्थगनादेश, तात्कालिक प्रभाव से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन शिथिल किये जाने का, निर्णय लिया गया है :–

(1) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 47/दस–सं.वि.(3)(1)90 दिनांक 3.90 में, आयोजनेत्तर पक्ष में, समस्त श्रेणी की सीधी भर्ती के 5 प्रतिशत पद रिक्त रखे जाये, परन्तु, उक्त शर्त, आरक्षित पदों पर, ला न होगी।

(2) आयोजनागत–पक्ष में, स्वीकृत पदों के विरूद्ध, न्यूनतम आवश्यक पदों पर ही, चयन की कार्यवाही की जाय।

(3) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि विभाग/अधिष्ठान में, वर्तमान या निकट भविष्य में, कर्मचारियों की अधिकता (Surplus) न रही हो। यदि ऐसा है, तो तदनुसार रिक्तियों में, अनुपातिक कटौती कर दी जाय।

Annexure—2

शासनादेश संख्या 15/51/75—रा.एकी, दिनांक 14 मार्च 1977 के साथ पठित, शासनादेश संख्या 65/9/69—रा.एकी. दिनांक 12 फरवरी 1970 : तदर्थ आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में, कार्यालय—ज्ञाप संख्या 41/5/71—नियुक्ति—3 दिनांक 31 दिसम्बर 73 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 19/8/75—का—1—78 दिनांक 18 अप्रैल 1978, तथा तदर्थ नियुक्तियों के विनियमीकरण के अवसर पर, संगत नियमावलियों में, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए, आरक्षण किये जाने के आदेश विद्यमान हैं।

शासन द्वारा, इस बात पर, सदैव बल दिया जाता रहा है कि तदर्थ आधार पर, अथवा दैनिक वेतन के आधार पर, नियुक्तियाँ न की जायें। यदि, अपरिहार्य परिस्थितियों में, ऐसा किया जाना आवश्यक हो जाय, तो ऐसी नियुक्तियाँ करते समय, उक्त जातियों के आरक्षण संबंधी आदेशों का पूरा ख्याल रखा जाये।

दैनिक वेतन के आधार पर तथा कार्यप्रभारित (वर्कचार्ज) नियुक्तियों में, आरक्षण के कोई आदेश, वर्तमान में, विद्यमान नहीं हैं जिसके कारण, इस प्रकार नियुक्त कर्मचारी को, भविष्य में, नियमित करने का निर्णय लिये जाने पर, आरक्षण—कोटा पूर्ण करने में, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतएव, शासन ने, समुचित विचारोपरांत, यह निर्णय लिया है कि दैनिक वेतन पर तथा कार्यप्रभारित नियुक्तियाँ करते समय भी अनुसूचित—जाति/जनजाति के लिए, क्रमशः 18 व 2 प्रतिशत का आरक्षण, सुनिश्चित किया जाये।

2— अतः अनुरोध है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि तदर्थ, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित तथा अल्पकालीन एवं अवकाश रिक्तियों में भी, इन जातियों का, पर्याप्त प्रतिनिधित्व बना रहे। कृपया इन आदेशों को, अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित अधिकारियों को, अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
सिद्धार्थ वेहरा
सचिव, उ0प्र0 शासन

शासनादेश संख्या 517/93—27—सिं—7—88(6)/89 दिनांक फरवरी 4, 1993

सेवा में

(1) प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
(2) प्रमुख अभियंता परिकल्प एवं नियोजन, उ0प्र0, लखनऊ
(3) प्रमुख अभियंता यांत्रिक, सिं.वि., उ0प्र0, लखनऊ

सिंचाई—7—अनुभाग

विषय :— सिंचाई विभाग के अधीन, कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों पर किये जाने वाले चयन में, वरीयता दिया जाना

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2196/प्र.अ./का.प्र.अ.प्र/पी—7 दिनांक 17 सितम्बर'92 के संदर्भ में, मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्यप्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को, नियमित पदों पर होने वाले चयन में, वरीयता दिये जाने के संबंध में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर, सम्यक रूप से, विचारोपरांत, इस संबंध में, समय—समय पर जारी शासनादेशों का अतिक्रमण करते हुए, राज्यपाल महोदय, सिंचाई विभाग में, समय समय पर, समूह ग तथा घ में रिक्त पदों पर किये जाने वाले चयन में, केवल कार्य प्रभारित कर्मचारियों को, उनके अनुभव के आधार पर, वरीयता दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— मुझे आपसे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय यह भी स्वीकृति प्रदान करते हैं कि, सीधी—भर्ती से किये जाने वाले नियमित—चयन में, सिंचाई विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को सम्मिलित करने हेतु, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में, आवश्यक शिथिलता प्रदान कर, सम्मिलित होने की अनुमति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, प्रदान की जायेगी; परन्तु पदों पर भर्ती हेतु, निर्धारित आवश्यक अहर्ताओं में, किसी प्रकार की छूट, शासन के पूर्व अनुमति के बगैर प्रदान नहीं की जायेगी।

3— मुझे आपसे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा, समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार, आरक्षण नीति का अनुपालन भी, कार्यप्रभारित कर्मचारियों की नियमित पदों पर नियुक्ति में दिये जाने के समय सुनिश्चित किया जायेगा।

4— अनुरोध है कि, उपर्युक्त आदेशों के अनुसार, विभाग में, रिक्त होने वाले पदों पर, समय—समय पर किये जाने वाले चयन में, कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वरीयता दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
sd/-
अशोक दुग्गल
संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन

Annexure-2

शासनादेश संख्या 762/93–सिं–7–88(60)/89 दिनांक 1–3—93

सेवा में

(1) प्रमुख अभियंता सिं.वि., उ0प्र0,लखनऊ
(2) प्रमुख अभियंता परि० एवं नि०, उ0प्र0, लखनऊ
(3) प्रमुख अभियंता यांत्रिक, सिं.वि., उ0प्र0, लखनऊ

सिंचाई–7–अनुभाग

विषय :– सिंचाई विभाग के अधीन, कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों पर किये जाने वाले चयन में, वरीयता दिया जाना

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपक पत्र संख्या जी–18/मु.अ.स. दिनांक 22.2.93 के संदर्भ में, शासनादेश संख्या 517/93–27–सिं–7–88(6)/89 दिनांक फरवरी 4, 1993 में, आंशिक संशोधन करते हुए, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की नियमितपदों पर, वरिष्ठता के अनुसार (अनुपयुक्त को छोड़ते हुए) चयन करने की स्वीकृति, प्रदान करते हैं।

2– मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि चयन के समय, समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार, आरक्षण नीति का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– मुझे आपसे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि वर्णित प्रक्रिया के अनुसार, चयन के उपरांत, यदि विभाग में, नियमित पद रिक्त रह जाते हैं तो उन पदों का पूर्ण विवरण देते हुए, नियमानुसार, चयन के पूर्व, शासन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

4– अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेशों के अनुसार, कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
sd/-
अशोक दुग्गल
संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन

नोट :– उपरोक्त दोनों शासनादेशों को, प्रमुख–अभियंता, सिं.वि., उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्रांक 120/का.प्र.अ.प्र./पी–4 दिनांक 30 अप्रैल 1993 द्वारा, अग्रसारित किया है, जिसे नीचे दिया जा रहा है :–

अ.शा.पत्रांक 20/का.प्र.अ.प्र./पी–4

अशोक कुमार
मुख्य अभियंता (सज्जा)

कार्यालय प्रमुख अभियंता
कार्य प्रभारित अधिष्ठान प्रकोष्ठ
सिं.वि., उ0प्र0

दिनांक लखनऊ अप्रैल 30, 1993

विषय :– सिंचाई विभाग के अधीन कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को, नियमित पदों पर किये जाने वाले चयन में, वरीयता दिया जाना

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 762/93–27–सिं–788(6)/89 दिनांक 16 मार्च 1993 एवं शासनादेश संख्या 517/93–97–सिं–7–88(6)/89 दिनांक 4 फरवरी 1993 की प्रतिलिपि, आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जारही है।

इस संबंध में, मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित दोनों शासनादेशों का पालन करने हेतु, निम्नलिखित कार्यवाही तुरन्त की जाय :–

1– अपने संगठन (जोन) में, नियमित अधिष्ठान के समस्त ग एवं घ समूह की रिक्तियों की सूचना तैयार करा लें और जोन में कार्यरत, कार्यप्रभारित अधिष्ठान से, कर्मचारियों की भी, अलग से, वरिष्ठता की सूची, तैयार करा ली जाय।

2– नियमित अधिष्ठान में, जो समूह ग एवं घ में दिया पद है, उसमें वरिष्ठता के अनुसार, सर्वप्रथम दिनांक 31–3–75 तक नियुक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों को, उपरोक्त, शासनादेशानुसार, नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी।

3– यदि 31–3–75 से पूर्व के नियुक्त सभी कार्य प्रभारित कर्मचारी, नियमित पद पर, नियुक्त नहीं हो पायें, तो ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारियों के संबंध में, विवरण, इस कार्यालय को भेज दिया जाय और यदि, आपके संगठन में, नियमित अधिष्ठान के पद, 31–3–75 तक समस्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद भी, खाली रह जाते हैं तो उसकी सूचना भी, पूर्ण विवरण के साथ, इस कार्यालय को, उपलब्ध करा दें, जिससे, अन्य जोन में, उपलब्ध, 31–3–75 तक नियुक्त कर्मचारियों को, खाली पदों पर, नियुक्ति की कार्यवाही की जा सके।

Annexure-4

97/16

कार्यालय प्रमुख अभियंता
कार्य प्रसारित अधिष्ठान प्रकोष्ठ
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या- 402/का0प्र0अ0प्र/डी-2 दिनांक लखनऊ फरवरी 24, 1997

विषय:- सिंचाई विभाग के अधीन कार्य प्रसारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजित करने तथा समायोजन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों पर दैनिक वेतन/मस्टर रोल कर्मचारियों की नियुक्ति।

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-2) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त विषयक सचिव, सिंचाई के पत्र संख्या-691/97-27-सि-7-88(26)/85, दिनांक 7-2-97 की प्रति संलग्न है। इस पत्र में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को रिक्त हुये कार्य प्रसारित अधिष्ठान के पदों पर समायोजित करने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गए हैं। इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाय। इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही तत्काल किया जाना अपेक्षित है।

1- मंडलीय स्तर पर पात्रता एवं उपयुक्तता के निर्धारण हेतु समिति का गठन करके इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

2- कार्य प्रसारित अधिष्ठान में उपलब्ध हुई रिक्तियों पर आरक्षण/संवैधानिक नियमों/शासनादेशों का अनुपालन करते हुए वरिष्ठता क्रम के आधार पर प्रथम चरण में 1985 तक के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को समायोजित किया जाय।

3- विभिन्न मंडलों में कार्य की आवश्यकता, रिक्तियों की उपलब्धता तथा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का समायोजन यथास्थिति मुख्य अभियंता, स्तर-2 तथा मुख्य अभियंता, स्तर-1 द्वारा किया जाये। शेष प्रकरणों का निस्तारण इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

4- दैनिक वेतन भोगी जिस पद पर कार्यरत है उसी पद पर उसकी वरिष्ठता निर्धारित की जाय तथा योग्यतानुसार उसी पद पर या पद की अनुपलब्धता की स्थिति में समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाय।

क्रमशः-----2/-

(2)

Annexure-5

--1--

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा) अनुभाग-2
संख्या-ए-2-4188/दस-2441/99
लखनऊ : दिनांक : 1 जनवरी 2000

विज्ञप्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 के प्रस्तर 667, 668 व 669 कार्य प्रभारित अधिष्ठान से सम्बन्धित नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। अतः राज्यपाल महोदय वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 के उक्त प्रस्तर-667, 668 व 669 की व्यवस्था को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने को स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- एतद विषयक वित्तीय नियम संग्रह-6 में संशोधन की प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी) संलग्न है।

आज्ञा से,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी
प्रमुख सचिव वित्त।

संख्या- ए-2-4188(1)/दस-99-2441/99, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद।
4- निदेशक कोषागार, उ0 प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6- विधानसभा/विधानपरिषद सचिवालय।
7- राज्यपाल सचिवालय।
8- निदेशक लेखन एवं मुद्रण सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र (गजट) के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

क्रमशः पृष्ठ.....2

IV—Payment to work-charged Establishment

(a) Pay Bills

458. Wages of members of the work-charge establish should be drawn and paid on Form no. 29, "Pay bill of w charged establishment", which is a combined pay bill acquittance roll form. A consolidated bill in this form sh be prepared monthly either for the whole division, sub-divi or for one or more sections of it, as may be convenient, the names and claims of the entire establishment concer including absentees, should be shown in each bill. Na should be grouped in the bill by works on which the per are employed, sanction to the entertainment of establishment should be quoted in each case, and the sub-d sional officer or the assistant engineer should certify, in the s provided for the purpose, that the persons were on duty du the period shown againt their names each person being emplo on the work and on the duties for which the appointment of person was sanctioned.

1. Deductions on account of fines, income-tax, etc. should be shown by special against the names concerned.

2. If the acknowledgement of an individual cannot conveniently be obtained on itself, it may be obtained separately on a hand receipt Form no. 28, which should attached to the bill as a sub-voucher.

459. Pay bills may be signed at any time on the last wor day of the calendar month in which the wages are earned, th they are not due for payment before the first working day o following month. When, however, the services of an indivi are dispensed with it is permissible and advisable to settle u account at once.

(b) Unpaid Wages

460. Wages remaining unpaid on a passed bill, on the d fixed for the closing of the accounts of the month may be p subsequently when claimed, the procedure described be being observed :

(a) Items remaining unpaid on the monthly bill sho be entered in simple register, full particulars of the cha including reference to the bill, being noted in the regis Form 21-B suitably modified, if necessary may be u for this purpose.

(b) Subsequent payments should be made on ha

Annexure

(c) When making payments of arrears suitable notes of payments should be recorded against the original entries in the register.

(c) Travelling Expenses

461. No bills need be prepared in support of claims for travelling expenses. Payments should be made on hand receipts, Form no. 28, which should setforth all the necessary particulars of the journey performed and of the expenses claimed and should be countersigned by the divisional officer prior to payment.

Note—In respect of those members of the work-charged establishment whose travelling allowance is determined with reference to the provisions of Travelling Allowance Rules in the Financial Handbook, Volume III, travelling allowance bills in Form 12 of the Financial Handbook, Volume V, Part I should be prepared.

(d) Classification of charge

462. Every payment made to a member of the work-charged establishment, whether on account of his wages or in recoupment of actual travelling expenses, should be charged to the work on which he is employed.

463. The cost of work charged establishment must be shown as a separate sub-head of the estimate.

C—ISSUES OF MATERIALS

I—General

464. Issues of materials to works, whether from stock or by purchase, transfer or manufacture, are divided into two classes :

(1) *Issues to contractors*—Issues of materials to contractors with whom agreements in respect of completed items of works, i.e. for both labour and materials, have been entered into.

(2) *Issues direct to works*—Issues of materials when work is done departmentally or by contractors whose agreements are for labour only.

A contractor should not be asked to take delivery direct from a firm of articles required for a work as it may lead to fraud.

II—To Contractors

(a) General Conditions

465. (a) The issue of materials to contractors who have contracted for completed items of work is generally permissible in the following circumstances :

Annexure-7

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या: 13/ 2017-सा-3-रिट-103/ दस-2017-328(122)/ 2016

लखनऊ : दिनाँक : 14 जून, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

शासन को विभिन्न कर्मचारी संगठनों से इस आशय के प्रत्यावेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहे है कि कार्य-प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत रहे ऐसे कर्मचारी जिन्हें विनियमित कर दिया गया है, के विनियमितिकरण के पूर्व की कार्य-प्रभारित अधिष्ठान की सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये अर्हकारी सेवा के रूप में जोड़ा जाये।

2- उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद-361, 368 एवं 370 में सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये अर्हकारी सेवा के आगणन के संबंध में व्यवस्था दी गयी है। उक्त अनुच्छेद नीचे उद्धृत किये गये हैं :-

"361. The service of an officer does not qualify for pension unless it conforms to the following three conditions:—

First— The service must be under Government.

Second— The employment must be substantive and permanent.

Third— The service must be paid by Government.

368. Service does not qualify unless the officer holds a substantive office on a permanent establishment.

370. Continuous temporary or officiating service under the Government of Uttar Pradesh followed without interruption by confirmation in the same or any other post shall qualify except—

(i) periods of temporary or officiating service in non-pensionable establishment;

(ii) periods of service in work-charged establishment; and

(iii) periods of service in a post paid form contingencies. "

स्पष्टत: कार्य-प्रभारित अधिष्ठान में की गयी सेवायें अर्हकारी सेवा में आगणित नहीं की जाती ।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- कार्य-प्रभारित अधिष्ठान में की गयी सेवाओं को सम्मिलित कर पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य किये जाने के प्रयोजन से मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-24239(एमबी)/ 2016 नाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 03-02-2017 द्वारा खारिज कर दी गयी है । उपर्युक्त रिट याचिका कई अन्य रिट याचिकाओं के साथ सम्बद्ध की गयी थी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नानुसार है -

"No doubt pension is not a bounty, it is a valuable right given to an employee, but, in the first place it must be shown that the employee is entitled to pension under a particular rule or the scheme, as the case may be.

Thus, a similar claim was declined by the Supreme Court. In the present cases also the same deficiencies exist as noticed in Prabhu Narain's case (supra).

The claim of the petitioners is also unsustainable as this issue is squarely covered by the Full Bench decision of this Court in Babu Ram (supra) wherein a similar claim for counting work-charged services for pensionary benefits has already been turned down relying upon various decisions of the Supreme Court, some of which have been noticed by us also, herein above.

As far as the contention raised on behalf of the petitioners based on the alleged notification dated 01.01.2000 is concerned, the said Government Order, which is prospective, merely states that the Government had taken a decision to abolish the arrangement of appointments in the work-charged establishment under Para 667, 668, 669 of the Financial Handbook, Vol.-VI which does not mean that work-charged services rendered under such establishment were liable to be counted for service/ pensionary benefits in respect of persons engaged prior to 01.01.2000. Para 669 referred herein above categorically barred the benefit of pension to members of work-charged establishment, consequently, also to the benefit of services rendered in the work-charged establishment for pensionary benefits. Even otherwise, for the reasons already discussed hereinabove the two establishments being distinct, the work-charged services are not liable to be counted for pensionary benefits in the regular establishment.

In this context, it is not out of place to refer to the order of the Supreme Court dated 05.09.2014 passed while dismissing the Special Leave Petition against the Division Bench judgment of this Court in Jai Prakash Singhs' case (supra), wherein it observed as under:-

> *"There is nothing on the record to suggest that any Rule or Scheme framed by the State to count the work-charge period for the purpose of pension in the regular establishment. In absence, of any such Rule or Scheme, we find no merit to interfere with the impugned judgment.*
> *The special leave petition is dismissed."*

This order of the Supreme Court as also the judgment in Prabhu Narain (supra) and the Full Bench decision in Babu Ram (supra) veritably clinche the issue as far as question no. 2 is concerned.

--3--

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

As regards the claim for counting the said services for service benefits such as, promotional pay-scale/ financial upgradation under ACP Scheme is concerned, there are various Government Orders dated 02.12.2000 and those issued in 2010 and thereafter,

prescribing specified periods of 'regular satisfactory service as a pre-condition for grant of such benefits and as work-charged service is not regular service in regular establishment and as this issue is squarely covered by the judgment of the Supreme Court in Jaswant Singhs case (supra), therefore, in view of the said judgment and for the reasons already discussed hereinabove, this claim is also not tenable.

For the reasons aforesaid, questions no. 1, 2 and 3 as framed by us are answered in the negative. Consequently, the writ petitions fail and are accordingly, dismissed."

4- माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश में कार्य-प्रभारित अधिष्ठान में की गयी सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभों के प्रयोजनार्थ अर्हकारी सेवा मानने संबंधी याचिका को पोषणीय नहीं पाते हुये याचिका निरस्त की गयी है।

5- शासन के समस्त ऐसे प्रशासकीय विभागों जिनके अधीन कार्य-प्रभारित अधिठान कार्यरत हैं, से यह अपेक्षा की जाती है कि उ0प्र0 सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद 361, 368 तथा 370 एवं मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 03.02.2017 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अधीनस्थ विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्याः 13/ 2017-सा-3-रिट-103(1)/ दस-2017, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
2- निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(61)

ANNEXURE – 7

(106)

संख्या-7553/लो0नि0-2/2001-606पी डब्लूडी/2001

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सचिव सिंचाई एवं ऊर्जा
सं0 1486/सिं0 ऊर्जा/2001

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 10 दिसम्बर, 2001

विषय:- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 में संशोधन कर कार्य प्रभारित अधिष्ठान से संबंधित नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-ए-2-4188/दस-24(4)/99, दिनांक: 1.1.2000 द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 के प्रस्तर-667, 668 एवं 669 में कार्य प्रभारित अधिष्ठान से संबंधित नियुक्ति की व्यवस्था को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जा चुका है और तदानुरूप ही वित्तीय नियम संग्रह-6 में संशोधन भी कर दिया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी यह निर्देश दिये गये थे कि कार्यप्रभारित अधिष्ठान में किसी कर्मी की नियुक्ति बिना शासन के पूर्व अनुमति के न किया जाए। पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 में कार्य प्रभारित अधिष्ठान से संबंधित नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त किये जाने के फलस्वरूप अब कार्य प्रभारित अधिष्ठान में किसी भी प्रकार से कोई भी नियुक्ति नहीं की जायेगी। साथ ही साथ विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को भी कार्य प्रभारित अधिष्ठान में किसी पद के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा और कार्य प्रभारित अधिष्ठान में अधिकृत रूप से विभाग में कार्यरत कर्मियों के नियमित पद में समायोजन होने के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्य प्रभारित कर्मी द्वारा रिक्त किये गये पद स्वयमेव समाप्त हो जायेंगे। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्यप्रभारित अधिष्ठान में भविष्य में मृतक आश्रित के रूप में भी कोई नियुक्ति न की जाय।

(एन0एस0 नपलच्याल)
सचिव
सिंचाई एवं ऊर्जा

भवदीया:

Commissioner High Court of Uttarakhand Nainital

Commissioner High Court of Uttarakhand Nainital

2. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों के अनुपालन के लिए अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
सचिव।

संख्या-7553/1/लो0नि0वि0-2/2001-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, सिंचाई/ग्रामीण अभियन्त्रण/लघु सिंचाई, उत्तरांचल शासन।
2. मण्डलायुक्त, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल।
6. वित्त एवं साधन अनुभाग-1/2/3, उत्तरांचल शासन।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी0बी0 पोली)
अनुसचिव।

संख्या: 8214 /लो0नि0-2/2001-606(पी0डब्लूडी)/2001

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2001

विषय :- लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियों को विनियमित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग में विगत कई वर्षों से कार्यरत कार्य प्रभारित (वर्कचार्ज) कर्मियों को विनियमित करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6390/23-7-97 (सा)/96 दिनांक 15-10-97 द्वारा कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये थे। उल्लेखनीय है कि लेखा अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या- ए-2-4188/दस--24(4)/99 दिनांक 1-1-2000 द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड संख्या-6 में संशोधन करते हुए प्रस्तर- 667, 668,669 जिनमें कार्यप्रभारित अधिष्ठान से सम्बन्धित नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी, को समाप्त कर दिया गया है। इसप्रकार अब कार्यप्रभारित अधिष्ठान में नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-10-97 तथा विज्ञप्ति दिनांक 1-1-2000 के क्रम में उत्तरांचल राज्य में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कार्यप्रभारित (वर्कचार्ज) कर्मियों को नियमित पदों के विरुद्ध विनियमित किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल में दिनांक 29-6-91 अर्थात वर्कचार्ज पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध हेतु जारी कार्मिक

.....2

विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 1009/का-1/1991 दिन 29-6-91 से पूर्व नियुक्त ऐसे कार्य प्रभारित कर्मी, जिन्होंने दिनांक 30-9-2001 को 10 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अभी तक निरं कार्य कर रहे हैं, को विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष (स्थाई) अथवा (अस्थाई) निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- विनियमित कर्मी राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य सभी सुविधायें अनुमन्य होंगी।

2- वही कार्य प्रभारित कर्मचारी विनियमितीकरण किये जाने के पात्र होंगे, जिनका कार्य एवं आचरण अच्छी श्रेणी का है और जिनके विरुद्ध कोई ऐसी कार्यवाही लम्बित न हो, जो पद के लिए निर्धारित अर्हता की श्रेणी में आते हों।

3- विनियमित करते समय इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि सेवक उस पद के लिए निर्धारित योग्यता रखता हो। यदि किन्हीं पदों की योग्यता निर्धारित न हो तो उसे मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लो0नि0वि0 देहरादून द्वारा निर्धारित करने का प्रस्ताव करके शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

4- ऐसे निर्धारित योग्यता रखने वाले वर्कचार्ज कर्मियों की ज्येष्ठता (श्रेणीवार) वर्कचार्ज पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी तथा इसके लिए सूचना जनपद स्तर से प्राप्त की जायेगी। अन्तिम ज्येष्ठता सूची क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर पर रक्खी जायेगी। ज्येष्ठता सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

5- अर्हताओं के पूर्ण होने की दशा में किसी श्रेणी के पद पर विनियमितीकरण उस श्रेणी में उपलब्ध कर्मियों की ज्येष्ठता (अनुपयुक्त को छोड़कर) के अनुसार किया जायेगा। विनियमितीकरण के लिए मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा एक स्क्रीनिंग /चयन समिति का गठन कार्मिक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा जो अपनी संस्तुति सक्षम प्राधिकारी को देगी। सक्षम प्राधिकारी विनियमितीकरण करने से पूर्व विनियमितीकरण हेतु पात्र अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कर्मचारियों के मूल निवास के जनपद के जिलाधिकारी द्वारा कराते हुए विनियमितीकरण आदेश जारी करेंगे।

.....

6- विनियमितीकरण केवल सम्बन्धित श्रेणी में उपलब्ध ऐसे पदों/रिक्तियों के विरूद्ध किया जोयेगा जो लोक सेवा आयोग,अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,उ0प्र0 की परिधि में न हो ।

7- चूँकि विनियमितीकरण दिये जाने का अर्थ नई नियुक्ति होगी,अतः नई नियुक्तियों को भरने में आरक्षण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग उत्तरांचल शासन द्वारा निर्धारित वर्तमान नियमों/आदेशों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । यदि आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त कार्य — प्रभारित कर्मी उपलब्ध नहीं होते हैं तो पदों को रिक्त रखा जाए,तथा उन पदों पर भर्ती संगत नियमावली में उपलब्ध प्राविधानों के अनुरूप सीधी भर्ती के माध्यम से कर ली जायेगी ।

8- कार्य प्रभारित कर्मियों की ज्येष्ठता निर्धारण के फलस्वरूप विनियमितीकरण की कार्यवाही के पश्चात यदि आवश्यक हो तो ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठ कर्मी को ही सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जायेगी ।

9- इस प्रकार नियमित किये गये कार्य प्रभारित कर्मियों की ज्येष्ठता पूर्व से नियमित कार्य प्रभारित कर्मियों के बाद वरिष्ठता क्रम में जोड़ते हुए निर्धारित की जायेगी ।

10- कार्य प्रभारित अधिष्ठान संवर्ग को तात्कालिक प्रभाव से मृत संवर्ग घोषित किया जाता है, अतः इस अधिष्ठान के कर्मियों को विनियमितीकरण के उपरान्त उनके द्वारा रिक्त पद स्वमेव समाप्त होते जायेंगे,और शनैः शनैः उक्त अधिष्ठान के समस्त पद धारक के सेवा निवृत होने के साथ-साथ समाप्त हो जायेंगे ।

11- उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6396/23-7-97-55 सा/96 दिनांक 31-1-98 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान में नियुक्ति विषयक व्यवस्था को एतद् द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है । तथा भविष्य में किसी भी

.....4

दैनिक वेतन भोगी कर्मी को कार्यप्रभारित अधिष्ठान में नियुक्ति नहीं दी जायेगी ।

12- विनियमित किये गये सभी कर्मियों की सेवा निवृत्ति की आयु वही होगी जो उस श्रेणी के नियमित कर्मचारियों के लिए पूर्व में निर्धारित है और अग्रेत्तर शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधन के अधीन होगी।

13- जिन कार्य प्रभारित कर्मचारियों द्वारा विभिन्न आधारों पर विनियमित किये जाने हेतु विभिन्न न्यायालयों में रिट याचिकायें योजित की गई हैं और मा0 न्यायालयों में निर्णय हेतु लम्बित हैं, ऐसे कर्मचारियों का विनियमितीकरण मा0 न्यायालयों के अन्तिम निर्णयों के अधीन होगा ।

14- कार्यप्रभारित कर्मियों को नियमित पदों पर विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 ,लो0नि0वि0अल्मोड़ा द्वारा जारी परिपत्र संख्या- कैम्प नैनीताल- 29 डब्लूसी-प0सा0 /2001 दिनांक 9-5-2001 तथा मुख्य अभियन्ता, स्तर -1 ,लो0नि0वि0, कैम्प देहरादून द्वारा जारी पत्र संख्या- 1107(1)/कैम्प-पर्व0सम0/दिनांक 31-5-2001 तथा परिपत्र संख्या 1517/कैम्प- देहरादून/पर्वतीय दिनांक 18-7-2001 को एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
सचिव ।

संख्या: 8214(1)/लो0नि-2/2001तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, सिंचाई, उत्तरांचल शासन ।
2- मुख्य अभियन्ता, कुमायूं क्षेत्र
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
4- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा ।
5- कार्मिक अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।
6- वित्त संसाधन अनुभाग-1/2/3 उत्तरांचल शासन ।
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
अनुसचिव ।

संख्या 46 /लो.नि.–2/2003–606 पीडब्ल्यूडी/2001- टी०सी०-II

प्रेषक,

आनन्द बर्धन,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

प्रा०क्र० 10

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर–1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनॉक 3 जनवरी, 2003

विषयः– लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को विनियमित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में लोक निर्माण अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 7553/लो.नि.–2/2001–606 पीडब्ल्यूडी/2001 दिनांक 10–12–2001 एवं शासनादेश संख्या 8214/लो0नि0–2/2001–606पीडब्ल्यूडी/2001 दिनांक 29–12–2001 द्वारा कतिपय मार्ग दर्शन सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये थे।

कार्यप्रभारित अधिष्ठान के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रत्यावेदनों एवं माँगों को दृष्टिगत् रखते हुये इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर पुनः विचार किया गया और शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 7553/लो.नि.–2/2001–606 पीडब्ल्यूडी/2001 दिनांक 10–12–2001 एवं शासनादेश संख्या 8214/लो0नि0–2/2001–606पीडब्ल्यूडी/2001 दिनांक 29–12–2001 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुये कार्य प्रभारित कर्मियों के विनियमितीकरण तथा उन कर्मियों द्वारा रिक्त किये गये पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैंः–

1. उत्तरांचल राज्य में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित (वर्कचार्ज) कर्मियों को नियमित पदों के विरुद्ध विनियमितीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल में दिनांक 29–6–91 अर्थात वर्कचार्ज पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध हेतु जारी कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1009/का–1/1991 दिनांक 29–6–91 से पूर्व नियुक्त ऐसे कार्य प्रभारित कर्मी जो अभी तक निरन्तर कार्य कर रहे हैं, को विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष (स्थाई अथवा अस्थाई) निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. विनियमित कर्मी को राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य सभी सुविधायें अनुमन्य होगी।
2. वही कार्य प्रभारित कर्मचारी विनियमितीकरण किये जाने के पात्र होंगे जिनका कार्य एवं आचरण अच्छी श्रेणी का है और जिनके विरूद्ध कोई कार्यवाही लम्बित न हो।
3. विनियमित करते समय इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित कार्मिक उस पद के लिये निर्धारित योग्यता रखता हो। यदि किन्हीं पदों की योग्यता निर्धारित न हो तो उसे मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो.नि.वि., देहरादून द्वारा निर्धारित करने का प्रस्ताव करके शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

.....2

4. ऐसे निर्धारित योग्यता रखने वाले वर्कचार्ज कर्मियों की ज्येष्ठता (श्रेणीवार) वर्कचार्ज पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी तथा इसके लिये सूचना जनपद स्तर से प्राप्त की जायेगी। अन्तिम ज्येष्ठता सूची क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर पर रखी जायेगी। ज्येष्ठता सूची का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा।

5. अर्हताओं के पूर्ण होने की दशा में किसी श्रेणी के पद पर विनियमितीकरण उस श्रेणी में उपलब्ध कर्मियों की ज्येष्ठता (अनुपयुक्त की छोड़कर) के अनुसार किया जायेगा। विनियमितीकरण के लिये मुख्य अभियन्ता, स्तर–1 द्वारा एक स्क्रीनिंग/चयन समिति का गठन कार्मिक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनरुप किया जायेगा जो अपनी संस्तुति सक्षम प्राधिकारी को देगी। सक्षम प्राधिकारी विनियमितीकरण करने से पूर्व विनियमितीकरण हेतु पात्र अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कर्मचारियों के मूल निवास के जनपद के जिलाधिकारी द्वारा कराते हुये विनियमितीकरण आदेश जारी करेंगे।

6. विनियमितीकरण केवल सम्बन्धित श्रेणी में उपलब्ध ऐसे पदों/रिक्तियों के विरूद्ध किया जायेगा जो लोक सेवा आयोग की परिधि में न हो।

7. विनियमितीकरण करते समय आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित वर्तमान नियमों/आदेशों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय। यदि आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त कार्य प्रभारित कर्मी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन पदों को रिक्त रखा जाय। संगत नियमावली में उपलब्ध प्राविधानों के अनुरुप सीधी भर्ती से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से चयन करके भरी जायेगी।

8. इस प्रकार नियमित किये गये कार्य प्रभारित कर्मियों की ज्येष्ठता पूर्व से नियमित कार्य प्रभारित कर्मियों के बाद वरिष्ठता क्रम में जोड़ते हुये निर्धारित की जायेगी। विनियमित कार्मिकों की परस्पर ज्येष्ठता वह होगी जिस क्रम में चयन समिति द्वारा चयन उपरान्त सूची में नाम रखे जायेंगे।

9. कार्य प्रभारित अधिष्ठान में ऐसे कर्मी जो विनियमितीकरण के फलस्वरुप नियमित हो चुके हैं, के द्वारा रिक्त किये गये पद पर वरिष्ठता के आधार पर 29–6–91 से पूर्व नियुक्त एवं निरंतर संतोषजनक कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी कार्यरत कर्मियों को समायोजित किया जायेगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की वरिष्ठता सूची उसी आधार पर निर्धारित की जायेगी जैसे कि कार्य प्रभारित कर्मियों की वरिष्ठता सूची निर्धारित करने हेतु उपरोक्तानुसार व्यवस्था दी गई है।

10. ऐसे कार्य प्रभारित कर्मी जो इस शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुरुप नियमित पदों पर विनियमितीकरण किये जाने हेतु पात्र हैं, की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को कर्मी की मृत्यु से 1 वर्ष के अन्दर मृतक आश्रित के रुप में दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों के रुप में तैनात किया जा सकेगा।

11. विनियमित किये गये सभी कर्मियों की सेवा निवृत्ति की आयु वही होगी जो उस श्रेणी के नियमित कर्मचारियों के लिये पूर्व में निर्धारित है।

12. उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त किसी भी दशा में कार्य प्रभारित एवं दैनिक वेतन पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जायेगी।

13. जिन कार्य प्रभारित कर्मचारियों द्वारा विभिन्न आधारों पर विनियमित किये जाने हेतु विभिनन न्यायालयों में रिट याचिकायें योजित की गई हैं, और मा0 न्यायालयों में निर्णय हेतु लम्बित हैं, ऐसे कर्मचारियों का विनियमितीकरण मा0 न्यायालयों के अन्तिम निर्णयों के अधीन होगा।

.....3

14. कार्य प्रभारित कर्मियों को नियमित पदों पर विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो.नि.वि., अल्मोड़ा द्वारा जारी परिपत्र सं0 कैम्प–नैनीताल–20 डब्ल्यूसी–प0स0/2001 दिनांक 9–5–2001 तथा इस सम्बन्ध में जारी अन्य समस्त परिपत्र तात्तकालिक प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

15. उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त किसी भी दशा में कार्य प्रभारित एवं दैनिक वेतन पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जायेगी।

भवदीय,

03/01/03

(आनन्द बर्धन)
अपर सचिव।

संख्या 46 /लो.नि.वि.–2/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन।
2. मण्डलायुक्त, पौड़ी/नैनीताल।
3. मुख्य अभियन्ता, स्तर–2, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
4. कार्मिक अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
5. वित्त अनुभाग –1/2/3 उत्तरांचल शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी. के. पन्त)
उप सचिव।

dsr/g.o.pwd/18-20

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग- 7
संख्या-6396/23-7-97-55 सा0/96
लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 1998

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के विभिन्न निर्माण कार्यों एवं निर्धारित परिमाणों तथा रख-रखाव के लिये लोक निर्माण विभाग में कार्य प्रभारित स्थायी मस्टररोल एवं दैनिक वेतन अस्थाई मस्टर रोलर पर काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं । इनमें से अधिकांश कर्मचारी विभाग में 10 वर्ष या उससे भी अधिक अवधि से कार्यरत हैं । यह कार्य प्रभारित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियमित नियुक्ति दिये जाने या विनियमितीकरण के लिये बहुत समय से उद्वेलित हैं और इस सम्बन्ध में उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में भी भारी संख्या में रिट याचिकायें दायर की गई हैं जिनमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित कर इन कर्मचारियों को वेतनमान का न्यूनतम वेतन देने, नियमित वेतनमान देने आदि अनुतोष देने के निर्देश दिये गये हैं ।

2- कार्य प्रभारित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण करने या उनको अधिकाधिक लाभ प्रदान करने का प्रश्न काफी समय से शासन के विचाराधीन रहा है । लेकिन यह कर्मचारी विशिष्ट एवं प्रायः अल्पावधि के कार्यों में नियोजित होने और उन कार्यों के पूर्ण हो जाने पर उनकी आवश्यकता न रह जाने या दूसरे नये कार्यों में उनका पूर्ण समायोजन न हो पाने की स्थिति के कारण इन कर्मचारियों की विनियमितीकरण की माँग को स्वीकार करना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है । वैसे भी अस्थाई एवं अल्पावधि के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों के लिये शासन द्वारा स्थायी कार्मिक सृजित करना औचित्यपूर्ण नहीं हो सकता है और न राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत यह सम्भव है । फिर भी इन कर्मचारियों के विभाग में लम्बे समय से नियोजित होने एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये शासन द्वारा उनके सेवा स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि विभाग में उपलब्ध कार्य की

---2

आवश्यकतानुसार एवं उपलब्ध वर्तमान रिक्त नियमित पदों या भविष्य में रिक्त / उपलब्ध होने वाले नियमित पदों पर कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जाय और इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश कार्यालय ज्ञाप संख्या-6398/23-7-97-55 सा.1/96, दिनांक- 15-10-1997 में जारी किये जा चुके हैं।

3- उपरोक्त के क्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों के नियमित पदों पर समायोजन के पश्चात दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्य प्रभारित के रूप में नियुक्ति देकर उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया जाय। अतः राज्यपाल महोदय दिनांक- 29-6-1991 से पूर्व से लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को कार्य प्रभारित रूप में समायोजन के लिए निम्नलिखित मार्ग-दर्शक सिद्धान्त निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1। ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को जिनकी दिनांक-31-3-97 तक न्यूनतम 10 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण हो गयी हो, एवं वे अब तक कार्यरत हों, कार्य प्रभारित वर्कचार्ज पर रखा जायेगा। और उन्हें वर्कचार्ज पर रखे जाने के उपरान्त कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में कार्य प्रभारित कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन भत्ते आदि सुविधायें देय होंगे।

2। दैनिक वेतन कर्मियों को कार्य प्रभारित पद पर नियुक्त करने के पूर्व उनके स्वास्थ्य का परीक्षण एवं उनके चरित्र सत्यापन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

3। कार्य प्रभारित पद पर रखते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कर्मचारी उस पद के लिये निर्धारित योग्यता रखता हो। यदि किन्हीं पदों की योग्यता निर्धारित न हो तो उसे प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित करने का प्रस्ताव करके शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

4। इस प्रक्रिया में आरक्षण के संबंध में वर्तमान नियमों / आदेशों का अनिवार्यतः पालन किया जायेगा।

--3/--

15। ऐसे निर्धारित योग्यता रखने वाले कर्मियों की ट्रेडवार ज्येष्ठता सूची दैनिक वेतन कर्मी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जनपद स्तर पर निर्धारित की जायेगी, परन्तु यदि कोई कर्मी प्रत्येक तीन माह से अधिक अवधि तक बीच में कार्य पर बिना सूचना के अनुपस्थित रहा है तो उसे उसकी ज्येष्ठता में व्यवधान मानते हुये कर्मी की ज्येष्ठता में उतनी ही अवधि की ज्येष्ठता की गणना में कम करते हुये ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी । इस प्रकार निर्धारित अंतिम ज्येष्ठता सूची क्षेत्रीय मुख्य अभियंतास्तर पर रखी जायेगी । ज्येष्ठता सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा । उक्त सूची से ही दैनिक वेतन कर्मियों को ज्येष्ठता क्रम में कार्य प्रभारित पर नियुक्ति दी जायेगी । इस प्रकार वर्कचार्ज में नियुक्त कर्मियों की ज्येष्ठता पूर्व से कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों के बाद निर्धारित की जायेगी ।

16। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की वर्कचार्ज में नियुक्ति हो जाने पर उन्हें एक कार्य से दूसरे कार्य पर अथवा जनपद में एक खंड से दूसरे खंड के कार्यों पर आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा । इन कर्मचारियों का तबादला/स्थानान्तरण जनपद के बाहर नहीं किया जायेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कार्य विशेष की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए किसी भी कर्मचारी को प्रदेश अथवा देश में किसी स्थल अथवा कार्य पर स्थानान्तरित किया जा सकता है परन्तु उसकी ज्येष्ठता उसी जनपद में बनी रहेगी जहाँ पर उसे कार्य प्रभारित आधिष्ठान पर लिया गया है ।

17। जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मियों द्वारा विभिन्न आधारों पर विनियमित किये जाने हेतु तथा नियमित वेतनमान में वेतन/न्यूनतम वेतन दिये जाने हेतु विभिन्न न्यायालयों में याचिकायें दायर की गयी हैं, और वे मा० न्यायालयों में निर्णय हेतु लम्बित है, ऐसे कर्मचारियों के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही मा० न्यायालयों के अन्तरिम /अन्तिम आदेशों के अधीन होगी ।

18। उपर्युक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि विभाग के कार्यों की लागत (कास्ट) की कुल धनराशि का 12.5 % तक ही ओवरहेड मदों पर

व्यय किया जायेगा और यदि यह तत्काल सम्भव न हो तो इस हेतु 2 वर्षों में अधिक हेड व्यय को सीमान्तर्गत लाने हेतु योजना/प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा ।

(सुशील मोहन)
सचिव ।

संख्या- 396/11/23-7-97-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(2) समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-0/कार्मिक अनुभाग-2
(4) लोक निर्माण सचिव शाखा के समस्त अधिकारी एवं समस्त अनुभाग ।
(5) समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(6) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग - 7
संख्या-6390/23-7-97-551ता1/96
लखनऊ : दिनांक : 15 अक्टूबर 1997

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग में विगत वर्षों से अनवरत कार्य प्रभारित कर्मचारी । कर्मियों को नियमित करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है । प्रकरण के संबंध में

29-6-1991 से पूर्व के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को विभाग में उपलब्ध पदों एवं मानकों के आधार पर तथा आवश्यकता के आधार पर भविष्य में उपलब्ध होने वाले पदों पर नियमित किये जाने हेतु निम्नलिखित मार्ग दर्शन सिद्धान्त निर्धारित करने की तद्ध स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. ऐसे कार्य प्रभारित कर्मियों जिनकी निरन्तर संतोषजनक सेवायें विभाग में दिनांक 31-3-97 को सात वर्ष या इससे अधिक हो गयी हो एवं जब तक निरन्तर कार्यरत हो तथा जो दर्शाये गये नियुक्ति पत्र प्रतिबन्ध हेतु जारी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1009/का-1/1991, दिनांक-29-6-91 के पूर्व नियुक्त हो, को उपलब्ध नियमित पदों /रिक्तियों चतुर्थ श्रेणी एवं अर्द्धदक्ष दोनों श्रेणियों के पद सम्मिलित है । की सीमा तक नियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में रखने हेतु पात्र माना जाय । इन नियमित कार्य प्रभारित कर्मचारियों को क्रमशः कर्मियों की भांति

2. जो कार्य प्रभारित कर्मचारी नियमितीकरण किये जाने के पात्र होंगे जिनका कार्य एवं आचरण अच्छा रहा है और जिनके विरुद्ध कोई ऐसी कार्यवाही लम्बित न हो, जो पद के लिए अर्हता की श्रेणी में आती हो ।

3. नियमित करते समय इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाय कि तत्समय उस पद के लिए नियमित ... पदों पर

योग्यता निर्धारित न हो तो उसे मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा निर्धारित करने का प्रस्ताव [illegible] से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

14. ऐसे निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र कर्मचारियों की ज्येष्ठता ट्रेडवार वर्गवार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी/तैयार की जायेगी तथा इनके लिए सूचना जनपद स्तर से प्राप्त की जायेगी। अंतिम ज्येष्ठता सूची क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर पर रखी जायेगी। ज्येष्ठता सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

15. रिक्तताओं के पूर्ण होने की दशा में किसी श्रेणी के पद पर नियमितीकरण उस श्रेणी में उपलब्ध कर्मियों की ज्येष्ठता अनुक्रमांक को दोहराकर 1 के अनुसार किया जायेगा और ज्येष्ठता सूची से संतुष्ट हुये बिना, नियमितीकरण के लिये संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा एक स्क्रीनिंग/चयन समिति का गठन किया जायेगा जो अपनी संस्तुति नियमितीकरण के आदेश करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को देगी। सक्षम प्राधिकारी नियमितीकरण करने के पूर्व नियमितीकरण हेतु पात्र अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कर्मचारियों के मूल निवास के जिलाधिकारी द्वारा कराते हुए नियमितीकरण आदेश जारी करेंगे।

16. नियमितीकरण केवल सम्बन्धित श्रेणी में उपलब्ध ऐसे पदों/रिक्तियों के विरुद्ध किया जायेगा जो लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश की परिधि में न हों।

17. चूँकि नियमितीकरण किये जाने का अर्थ नई नियुक्ति होगी अतः नई नियुक्तियों को भरने में आरक्षण के संबंध में विद्यमान नियमों/आदेशों का अनिवार्यतः अनुपालन किया जाय।

18. कार्य प्रभारित कर्मियों की ज्येष्ठता निर्धारण के फलस्वरूप नियमितीकरण की कार्यवाही के पश्चात यदि आवश्यक हो तो ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठ कर्मी को हटाने से पृथक करने की कार्यवाही की जायेगी।

—3/—

संख्या- 6398 II/23-7-97-मु0दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
2. मुख्य क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-2
4. लोक निर्माण सचिव शासन के समस्त अधिकारी एवं समस्त अनुभाग।
5. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

पत्रांक 429/30 ई
सं. 1867/ लो0नि0 पं0वि0 दि0 31/X/97

उपरोक्त की प्रति का शा0 आ0 सं0 36/38/63/49 ता 8 दिसम्बर को सम्बन्ध में प्राप्त है कि शासनादेश की प्रति हस्ताक्षरित अधिशासी अभियन्ता को को अपने स्तर से उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रति गाड़ी पमानली एवं सामान्य प्रशासनिक

29 OCT

पत्रांक: 2326/हा0यान-अ0/97 दि0 4/11/97 हेतु मुख्य अभियन्ता (लो0नि0 प्रदेश) को शासनादेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

21/10

(9) इस प्रकार नियमित किये गये कार्य प्रभारित कर्मियों की वरिष्ठता पूर्व से नियमित कार्य प्रभारित कर्मियों के बाद वरिष्ठता क्रम में जोड़ते हुए निर्धारित की जायेगी।

(10) वे कर्मी जो इस नीति से आच्छादित नहीं होते है, अथवा अर्हतायें पूरी न कर पाने के कारण नियमित नहीं हो पाते हैं, अथवा इन शर्तों पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते है, उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। रिक्त पदों पर नई नियुक्तियाँ शासन के अनुमोदनोपरान्त ही की जायेगी।

(11) विनियमित किये गये सभी कर्मियों की सेवा निवृत्ति की आयु वही होगी जो उस श्रेणी के नियमित कर्मचारियों के लिए पूर्व में निर्धारित है और जो उत्तरोत्तर शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधन के अधीन होगी।

(12) नियमित अधिष्ठान में उपलब्ध रिक्तियाँ, जिनकी अर्हता वर्कचार्ज कर्मियों के पदों के लिए निर्धारित अर्हता के समान है, पर भी नियुक्तियाँ दिनांक- 29-6-91 के पूर्व कार्यरत वर्कचार्ज कर्मियों से ही सेवा नियमावली में संशोधन के शासनादेश जारी होने के उपरान्त की जायेगी। ऐसी रिक्तियाँ सामान्य भर्ती द्वारा नहीं भरी जाय। केवल अर्ह वर्कचार्ज कर्मियों के उपलब्ध न होने की दशा में ही नियमित अधिष्ठान में उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्तियाँ की जायेगी।

(13) जिन कार्य प्रभारित कर्मचारियों द्वारा विभिन्न आधारों पर नियमितीकरण दिये जाने हेतु विभिन्न न्यायालयों में रिट याचिकायें योजित की गयी है और वे मा० न्यायालयों में निर्णय हेतु लम्बित है, ऐसे कर्मचारियों का नियमितीकरण मा० न्यायालयों के अन्तिम निर्णयों के अधीन होगा।

(पी० एन० शर्मा)
सचिव।